न्यायालय तहसीलदार तहसील कठूमर जिला अलवर

(निर्णय बईजलास भीम सिंह R.T.S.)

प्रकरण संख्या 03 / प्रार्थना पत्र / 2024

उनवानी –

1. रमेश मीना पुत्र लल्लू जाति मीना निवासी रानोता, कठूमर जिला अलवर

.....................प्रार्थी

बनाम

1. हंसराज पुत्र मदनसिंह जाति जाट निवासी रानोता
2. युवराज पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी रानोता
3. सुन्दर पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी रानोता
4. अजय पुत्र सुन्दर जाति जाट निवासी रानोता तहसील कठमूर जिला अलवर

.....................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांक 30.12.02024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम रानोता स्थित आराजी खसरा नम्बर 135 किस्म बारानी जाव 2 में से 85 बाई 40 वर्ग फुट भूमि के कुछ हिस्से पर अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिकमण कर लिया है। अतः प्रार्थी जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है कि भूमि पर सवर्ण जाति के सदस्य को कब्जा होने से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को संभलाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है अतः प्रकरण अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि पर सवर्ण जाति के सदस्य के अवैध कब्जे से सम्बन्धित है अतः आर॰टी॰एक्ट॰1955 की धारा 183 बी के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उप्रार्थीगण को तलबी की गई।

अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री भीम सिंह राणा उपस्थित। जबाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण के बयान लेख बद्ध किये गये। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 135 किस्म बारानी जाव 2 को लगभग 29 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण द्वारा कय किया गया था। लगभग तीन माह पूर्व से उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। हल्का पटवारी अरूंवा की रिपोर्ट से कब्जे की पुष्टि होती है।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज॰

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 0.15 हेक्टयर वाके ग्राम रानोता में से 85 बाई 40 फूट प्रार्थीगण द्वारा खातेदारों से खरीद होना पाया गया। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है लेकिन कुछ भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा है। प्रार्थी रमेश मीणा पुत्र लल्लू जाति मीना ने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि सायल ने मौके पर अपनी जमीन में चार दीवारी करके घर बना रखा है। सायल द्वारा कृषि भूमि को अकृषि भूमि में सम्परिवर्तन कराये बिना निर्माण कर लिया है। अतः सायल की आराजी को सिवायचक घोषित करने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कठूमर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियत 1955 की धारा 177 के तहत प्रकरण तैयार कर भिजवाया जावे।

प्रार्थी द्वारा अपने बयान में बताया है कि खरीदशुदा भूमि से संबंधित दस्तावेज का सक्षम कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं कराया गया है। जो कि राजस्व हानि का प्रकरण बनता है जिसके लिये पंजीयन नियमों के अनुसार कार्यवाही पृथक से की जावे। प्रकरण में पटवारी हल्का से कब्जे से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी उक्त आराजी पर अप्रार्थी के अवैध कब्जे की पुष्टि होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थी जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है कि भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 0.15 हेक्ट0 में से 85 बाई 40 वर्ग फुट भूमि वाके ग्राम रानोता तहसील कठूमर पर अप्रार्थी द्वारा कुछ हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज0 टिनैन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 0.15 हेक्टयर में से 85 बाई 40 वर्ग फुट भूमि वाके ग्राम रानोता तहसील कठूमर पर से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण को संभलाया जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आराजी से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण को संभलाने के लिए भू0 अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को लिखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 30.12.2024 को सुनाया गया है।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.

तहसीलदार, कठूमर जिला अलवर (राज0)